VTCMS - 2023/51

17/10/2023
31/10/2023

FORM NO -III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत कलक्टर, मुकाम डीडवाना–कुचामन

प्रार्थी		अप्रार्थी
श्री धर्माराम पुत्र नाथूराम जाति बावरी निवासी सिलनवाद तहसील लाडनूं जिला डीडवाना–कुचामन	बनाम	राजस्थान सरकार जरिये अभियोजन अधिकारी, डीडवाना

किस्म मुकदमा फौजदारी प्रार्थना पत्र संख्या... 29 सन् 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख मे जारी हुए
09.10.2023	वकील प्रार्थी ने धारा 457 सी.आर.पी.सी. के तहत यह फौजदारी प्रार्थना पत्र पुलिस थाना लाडनूं द्वारा एफ.आई.आर. संख्या 319/2023 अपराध अन्तर्गत धारा 5, 6 व 8 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिशेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनिमय) अधिनियम 1995 के तहत दर्ज प्रकरण में प्रार्थी की जब्त शुदा वाहन पिक अप नं0 RJ18 GC 2336 को जमानतनामा व सुपुर्दगी नामा पर प्रार्थी को सुपुर्द किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अभियोजन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण अनुसंधान पत्रावली मय प्रकरण तथ्यात्मक रिपोर्ट आगामी पेशी पर न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत करे। पत्रावली दिनांक 13.10.2023 को पेश हो। कलक्टर, डीडवाना–कुचामन	
13/10/2023	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बाहर पधारे। पत्रावली आईन्दा दिनांक 17/10/2023 को पेश हो।	
17/10/2023	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय चुनाव कार्य में व्यस्त है। पत्रावली आईन्दा दिनांक 31/10/2023 को पेश हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat
Date: 2024.02.01 11:34:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

31.10.2023 लगातार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
31.10.2023	प्रार्थी की ओर से वकील श्री जयप्रकाश उपस्थित। अप्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी श्री किरतुरमल चौधरी उपस्थित। प्रकरण में थानाधिकारी पुलिस थाना, लाडनूं द्वारा अपने पत्रांक 3603 दिनांक 10.10.2023 से हस्तगत प्रकरण से सम्बन्धित एफ.आई.आर. नं. 319/2023 अन्तर्गत धारा 5, 6 व 8 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध प्रतिशेध और अस्थाई विनियमन प्रवास या निर्यात का विनिमय) नियम 1995 पुलिस थाना लाडनूं बनाम नाथूराम वगैराह की मूल पत्रावली भिजवाई है। वकील प्रार्थी के आवेदन अन्तर्गत धारा 457 सी.आर.पी.सी पर वकुलाय की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान वकील प्रार्थी का तर्क रहा कि प्रार्थी वाहन पिकअप पंजीयन संख्या RJ18 GC 2336 का पंजीबद्ध मालिक है तथा उक्त वाहन मय मूल कागजात वर्तमान में प्रकरण एफ.आई.आर. नम्बर 319/2023 में पुलिस थाना लाडनूं द्वारा जब्त किया हुआ है। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण होकर पुलिस द्वारा वाद अनुसंधान आरोप पत्र सक्षम न्यायालय में पेश किया जाना शेष है। उक्त वाहन मय मूल कागजात का प्रार्थी के अलावा अन्य कोई स्वामी नहीं है प्रार्थी ही इस वाहन मय मूल कागजात का स्वामी है। उक्त वाहन मय मूल कागजात पुलिस थाना लाडनूं में देखरेख के अभाव में पड़ा पड़ा खराब हो रहा है। पुलिस थाना लाडनूं को उक्त वाहन मय मूल कागजात की अनुसंधान में कोई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी की आजीविका का एकमात्र साधन उक्त वाहन ही है, जिसके अभाव में प्रार्थी को आर्थिक क्षति हो रही है। प्रार्थी न्यायालय हाजा द्वारा अधिरोपित प्रत्येक शर्त का अक्षरशः पालना करने को तत्पर है, का कथन करते हुए वकील प्रार्थी ने प्रार्थी का उक्त वाहन पिकअप पंजीयन संख्या RJ18 GC 2336 मय मूल कागजात को सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा पर सुपुर्द करने का आदेश प्रदान करने का निवदेन किया है। उभय प[illegible] पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। हस्तगत प्र[illegible] में न्[illegible]य में चालान पेश किया जाना शेष [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Ram Jat
Date: 2024.02.01 11:34:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
डीडवाना–कुचामन

Scanned with OKEN Scanner

31.10.2023

लगातार

धर्माराम पुत्र नाथूराम जाति बावरी आयु 28 वर्ष निवासी सिलनवाद तहसील लाडनूं, जिला डीडवाना–कुचामन को उक्त वाहन मय असल कागजात (थानाधिकारी पुलिस थाना, लाडनूं के पत्र दिनांक 31.10.2023 की रिपोर्ट अनुसार वाहनों की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होने से) सुपुर्दगी पर दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 457 द.प्र.सं. एतद् द्वारा स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी द्वारा प्रकरण में 500000/– (अक्षरे पांच लाख रूपये) का सुपुर्दगीनामा व इसी कदर की राशि का जमानतनामा, नीचे अंकित शर्तो अनुसार, प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दिये जाने पर, उपखण्ड अधिकारी लाडनूं द्वारा श्रीमान् अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय लाडनूं को पुलिस थाना लाडनूं के प्रकरण संख्या 319/2023 में जब्त शुदा वाहन पिकअप पंजीयन संख्या RJ18 GC 2336 मय मूल दस्तावेज को प्रार्थी को नियमानुसार सुपुर्द करने बाबत तहरीर जारी की जावे।

1. कि प्रार्थी उक्त वाहन का वर्तमान अवधि का वैध बीमा प्रपत्र प्रस्तुत करेगा।
2. कि प्रार्थी उक्त वाहन को सुपुर्दगी पर प्राप्त करने के पश्चात इसके रंग–रोगन व ढाचे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा।
3. कि प्रार्थी बिना न्यायालय की अनुमति के उक्त वाहन को किसी को किसी भी प्रकार से हस्तांतरित, रहन एवं बैचान आदि नहीं करेगा।
4. कि जब भी न्यायालय तलब करे, प्रार्थी अपने स्वयं के खर्चे से, उक्त वाहन को न्यायालय में पेश करेगा।

उपखण्ड अधिकारी लाडनूं को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सुपुर्दगीनामा एवं जमानतनामा बाद तस्दीक, तथा उक्त वाहन प्रार्थी को सुपुर्द करने पर सुपुर्दगी की रसीद की प्रति प्राप्त कर इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

इस आदेश की प्रमाणित प्रति श्रीमान् अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय लाडनूं को सूचनार्थ एवं उपखण्ड अधिकारी लाडनूं को पालनार्थ भिजवाई जावे। मूल पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही फैसल शुमार हो व नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat
Date: 2024.02.01 11:34:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner